न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 10/2023

1. गुड्डीदेवी पुत्री रामप्रताप जाति नाई निवासी भोजरासर हाल आबाद चक 34 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय **दिनांक :–12.6.23**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजयकुमार द्वारा प्रस्तुत हुआ जिससे संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीया के नाम से चक 34 केवाईडी का खाता संख्या 114 का मुरब्बा नं0 222/4 के किला नं0 1 ता 10 मं कुल 2.4784 है0 अनकमाण्ड एम.एफ.एफ.आर. खातेदार व खाता संख्या 104 का मुरब्बा नं0 222/4 के किला नं0 11 ता 16, 23 ता 25 में कुल 2.2508 है0 अ0क0 इसप्रकार कुल 4.729 है0 अनकमाण्ड भूमि आवंटन हुई थी। उक्त रकबा आवंटन के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक आवंटन आदेश के दर्ज हो गया, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम गुड्डीदेवी के बजाय गुडकी दर्ज है। उक्त रकबा पर प्रार्थीया का कब्जा आवंटन के समय से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी गुड्डीदेवी व गुडकी दोनो की नामो से जानी व पहचानी जाती है। प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम गुडकी की जगह गुड्डीदेवी करवाना चाहती है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में पहचान दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड जमाबंदी, खातेदारी सनद प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थीया का नाम गुड़की की जगह गुडकीदेवी उर्फ गुड़की किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र धारा धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थीया का नाम गुड़की की जगह गुड्डीदेवी उर्फ गुड़की नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)